संख्या-20/2018/1916/60-1-2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **दिनांक::लखनऊ:: 10 अगस्त, 2018**

विषय:- महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित गृहों की मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों की निरीक्षण आख्या के आधार पर कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के गृहों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिये गये थे, जिसके कम में मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों द्वारा मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारियों/विभागीय अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों की टीम गठित कर तथा कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा स्वयं पुलिस अधीक्षकों के साथ में जाकर गृहों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त आख्या प्रेषित की गयी है।

2- कतिपय जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय पायी गयी गम्भीर कमियों के आधार पर सम्बन्धित संस्थाओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है एवं उसमें आवासित संवासियों / संवासिनियों को दूसरी संस्थाओं में स्थानान्तरित भी किया गया है।

3- जिलाधिकारियों के उपरोक्त निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं के विरुद्ध तात्कालिक कार्यवाही किया जाना है तथा जिन संस्थाओं में कतिपय छोटी कमियाँ दृष्टिगोचर हुयी हैं, उनको दूर कर संस्था को सुचारू रूप से संचालित कराया जाना सुनिश्चित करें। जिन संस्थाओं में उपस्थिति पंजिका में अंकित संख्या के अनुसार संवासी / महिलायें उपस्थित नहीं पायी गयी हैं, ऐसी अनुपस्थित संवासी / महिलाओं के मूल पते या उनके वर्तमान पते से उनका सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। जिन निम्नलिखित संस्थाओं के द्वारा संचालन में गम्भीर अनियमिततायें बरती गयी हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना तत्काल सुनिश्चित करें।

(1) स्वैच्छिक संस्था संकल्प विकास समिति, आजमगढ़ (स्वाधार गृह)

उक्त संस्था द्वारा संचालित स्वाधार गृह की जांच आख्या जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पत्र संख्या-878-80, दिनांक 08-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्र में उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण के समय गृह का संचालन बंद पाया गया। स्थलीय निरीक्षण में कोई संवासिनी नहीं पायी गयी, बल्कि भवन में किरायेदार रह रहे थे। संस्था के प्रबंधक ने दूरभाष पर बताया कि विगत डेढ़ वर्ष से स्वाधार गृह संचालित नहीं है। इस प्रकार स्वाधार गृह पूर्ण रूप से बन्द है। स्वाधार गृह के बन्द होने की सूचना से सभी सम्बन्धित को अवगत करा दिया जाय।

(2) स्वैच्छिक संस्था संकल्प विकास समिति, आजमगढ़ द्वारा जनपद मऊ में संचालित (अल्पावास गृह)

उक्त संस्था द्वारा जनपद मऊ में संचालित अल्पावास गृह की जांच आख्या जिलाधिकारी, मऊ द्वारा पत्र संख्या-600-01 दिनांक 07-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि निरीक्षण के समय संस्था में कोई संवासिनी नहीं पायी गयी। अधीक्षिका के अतिरिक्त मौके पर कोई स्टाफ नहीं पाया गया। अधीक्षिका द्वारा बताया गया कि संवासिनियों के न रहने पर अपने-अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते है। अल्पावास गृह में महिलाओं को रखे जाने के पर्याप्त संसाधन नहीं पाये गये और न ही भवन उपयुक्त है। जिन 63

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संवासिनियाँ के नाम दर्ज हैं, उनका पते से प्रत्येक संवासिनी का सत्यापन कराया जाय। अल्पावास गृह के बन्द होने की सूचना से सभी सम्बन्धित को अवगत करा दिया जाय।

(3) स्वैच्छिक संस्था स्वामी धर्मानन्द शिक्षा समिति, फतेहपुर (अल्पावास गृह)

उक्त संस्था द्वारा संचालित अल्पावास गृह की जांच आख्या जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा पत्र संख्या-1987-88 दिनांक 06-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि निरीक्षण के समय अल्पावास गृह बंद पाया गया तथा जिलाधिकारी के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि संस्था द्वारा दिनांक 30-07-17 से लगभग एक वर्ष पूर्व ही संस्था का संचालन बंद किया जा चुका है। अल्पावास गृह के बन्द होने की सूचना से सभी सम्बन्धित को अवगत करा दिया जाय।

(4) स्वैच्छिक संस्था स्व0 पं0 गिरिजा प्रसाद शिक्षा संस्थान, सोनभद्र (बाल गृह, बालक, प्रतापगढ़)

उक्त संस्था द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में संचालित बाल गृह (बालक) की जांच आख्या जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा पत्र संख्या-1341 दिनांक 06-08-18 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि निरीक्षण के समय बाल गृह में कुल 12 बच्चें नामंकित हैं, परन्तु निरीक्षण के समय 08 बच्चें ही उपस्थित हैं। बताया गया कि 04 बच्चे आश्रम पद्धति विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने हेतु गये हैं। उपस्थित 08 बच्चों में 05 सामान्य एवं 03 मंदबुद्धि हैं। संस्था में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक पायी गयी। बच्चों द्वारा पूछने पर बताया गया कि व अपने कपड़े स्वंय धोते है, जबकि मानक के अनुरूप वाशिंग मशीन होनी चाहिए तथा बच्चे संस्था में निर्धारित ड्रेस में नहीं पाये गये एवं बच्चों के मनोरजन एवं खेल कूद आदि की कोई सुविधा/सामग्री उपलब्ध नहीं है। संस्था का संचालन संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः उक्त गृह का पंजीकरण/मान्यता निरस्त की जाय तथा आवासित बच्चों को राजकीय बाल गृह (बालक) वाराणसी में स्थानान्तरित कराया जाय।

(5) स्वैच्छिक संस्था मैक्सन ग्रामोद्योग संस्थान, प्रतापगढ़ (स्वाधार गृह)

उक्त संस्था द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में संचालित स्वाधार गृह की जांच आख्या जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा पत्र संख्या1341, दिनांक 06-08-18 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका की जांच करने पर माह अगस्त में 29 महिला उपस्थित दिखीं, परन्तु मौके पर दो महिलायें ही उपस्थित पायी गयीं, जो महिलायें उपस्थित नहीं पायी गयी, उन्हें उनके मूल पते से सत्यापित कराया जाय। संस्था द्वारा कोई अभिलेख व विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये। संस्था बन्द स्टाक रजिस्टर के अभिलोकन से रूपये 80 हजार अंकित है, इसका व्यय किस मध्य में कहाँ कर्ख किया गया, उसका कोई विल वाउचर एवं वितरण रजिस्टर नहीं प्रस्तुत कराया गया। संस्था में निराश्रित महिला एवं उनके बच्चों को आश्रय प्रदान करने, भरण पोषण व शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्य किया जाना नहीं पाया गया। संस्था में महिलाओं का फर्जी रजिस्ट्रेशन कर उपस्थिति रजिस्टर में मिथ्या उपस्थिति दिखाना। संस्था संबंधी महत्वपूर्ण अभिलेखों, विशेषतया वित्तीय अभिलेखों का रख रखाव एवं उनका अद्यावधिक नहीं पाये गये। संवासिनियों को मूलभूत सुविधायें यथा- साफ-सफाई, भोजन, बेड, सुरक्षा प्रशिक्षण, चिकित्सा आदि की व्यवस्था मानक के अनुरूप नहीं पायी गयी। जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध तत्काल निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना है :-

1- सम्बन्धित संस्थाओं के संचालकों के विरूद्ध आई०पी०सी० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी जाय।

2- संस्थाओं में आवासित संवासियों / संवासिनियों को दूसरी राजकीय संस्थाओं में या सुचारू रूप से संचालित एवं पंजीकृत संस्थाओं में स्थानान्तरित कराया जाय।

3- सम्बन्धित संस्थाओं को वर्ष 2017-18 में यदि सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति सम्बन्धित संस्थाओं के संचालकों से की जाय।

4- सम्बन्धित संस्थाओं को जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर काली सूची डाला जाता है और इनको भविष्य में किसी भी विभाग से किसी भी योजना में कार्य न दिया जाय।

शासन स्तर से पृथक से आदेश निर्गत किया गया है।

(6) स्वैच्छिक संस्था जाग्रति अष्टभुजा नगर प्रतापगढ़ (स्वाधार गृह)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उक्त संस्था द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में संचालित स्वाधार गृह की जांच आख्या जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा पत्र संख्या 1341, दिनांक 06-08-18 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि निरीक्षण के दौरान संस्था में कुल 16 बच्चें व 16 महिलाएं पंजीकृत हैं। निरीक्षण के समय मात्र 12 महिलाएं उपस्थित पायी गयीं। अनुपस्थित महिलाओं के दर्ज पते पर सत्यापन कराया जाय। महिलाओं की संख्या के अनुसार कक्ष कम पाये गये। संस्था में महिलाओं का फर्जी रजिस्ट्रेशन कर उपस्थिति रजिस्टर में मिथ्या उपस्थिति दिखाना संस्था संबंधी महत्त्वपूर्ण अभिलेखों, विशेषतया वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव एवं उनका अद्यावधिक नहीं पाये गये। संवासिनियों को मूलभूत सुविधायें यथा-साफ-सफाई, भोजन, बेड, सुरक्षा प्रशिक्षण, चिकित्सा आदि की व्यवस्था मानक के अनुरूप नहीं पायी गयी। संस्था का संचालन संतोषजनक नहीं पाया गया।

जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध तत्काल निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना है :-

1- सम्बन्धित संस्थाओं के संचालकों के विरुद्ध आई०पी०सी० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी जाय।

2- संस्थाओं में आवासित संवासियों/संवासिनियों को दूसरी राजकीय संस्थाओं में या सुचारू रूप से संचालित एवं पंजीकृत संस्थाओं में स्थानान्तरित कराया जाय।

3- सम्बन्धित संस्थाओं को वर्ष 2017-18 में यदि सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति सम्बन्धित संस्थाओं के संचालकों से की जाय।

4- सम्बन्धित संस्थाओं को जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर काली सूची में डाला जाता है और इनको भविष्य में किसी भी विभाग से किसी भी योजना में कार्य न दिया जाय।

शासन स्तर से आदेश पृथक से निर्गत किए गए हैं।

(7) स्वैच्छिक संस्था आयशा ग्रामोद्योग, हरदोई (अल्पावास गृह)

उक्त संस्था द्वारा संचालित अल्पावास गृह की जांच आख्या जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा पत्र संख्या- 281 दिनांक 06-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जांच के समय उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज संख्याओं के सापेक्ष कम महिलायें उपस्थित पायी गयी महिलाओं के लिये पर्याप्त दैनिक उपभोग का सामान नहीं पाया गया, संस्था का भवन भी मात्र केवल 02 कमरे का पाया गया, जिसमें मौके पर बतायी गयी 21 महिलायें किसी भी दशा में नहीं रह सकती। दिन में महिलायें कुछ समय के लिये आती है। संस्था द्वारा स्वाधार/अल्पावास गृह में महिलाओं को रखे जाने के पर्याप्त संसाधन नहीं पाये गये। संस्था द्वारा शासकीय धन का दुरूपयोग किये जाने का उल्लेख किया गया है भविष्य में कोई भी धनराशि आवंटित न किये जाने की संस्तुति की गयी है।

जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध तत्काल निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना है :-

1- सम्बन्धित संस्थाओं के संचालकों के विरुद्ध आई०पी०सी० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी जाय।

2- संस्थाओं में आवासित संवासियों/संवासिनियों को दूसरी राजकीय संस्थाओं में या सुचारू रूप से संचालित एवं पंजीकृत संस्थाओं में स्थानान्तरित कराया जाय।

3- सम्बन्धित संस्थाओं को वर्ष 2017-18 में यदि सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति सम्बन्धित संस्थाओं के संचालकों से की जाय।

4- सम्बन्धित संस्थाओं को जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर काली सूची में डाला जाता है और इनको भविष्य में किसी भी विभाग से किसी भी योजना में कार्य न दिया जाय।

(8) स्वैच्छिक संस्था जन कल्याण शिक्षा समिति, लखनऊ (स्वाधार गृह)

उक्त संस्था द्वारा जनपद पीलीभीत में संचालित स्वाधार गृह की जांच आख्या जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा पत्र दिनांक 07-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निरीक्षण के समय मात्र 02 कर्मचारी वार्डन एंव गार्ड उपस्थित मिले। उपस्थिति पंजिका के निरीक्षण में 32 संवासिनियों के नाम दर्ज थे, किन्तु मौके पर केवल 07 संवासिनियाँ ही उपस्थित पायी गयीं। जिसमें 02 बालिग एंव 05 नाबालिग थी तथा 16 संवासिनियों का पुर्नवासन अकिंत था, किन्तु उनका नाम उपस्थिति पंजिका में दर्ज पाया गया। शेष 09 संवासिनयों के संबंध में संस्था की वार्डन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पायीं। संस्था संचालिका श्रीमती नीलम गुप्ता लखनऊ में रहती हैं। संस्था संचालिका द्वारा शासन से अधिक धनराशि प्राप्त करने के उद्देश्य से मुक्त संवासिनियों के नाम का अंकित होना परिलक्षित पाया गया तथा 09 संवासिनियों के नाम भी अधिक धनराशि प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्जी अकिंत होना पाया गया। पूर्व में दिनांक 01-06-18 को गृह की जांच की गयी और पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में श्रीमती नीलम गुप्ता को नोटिस दिया गया था, किन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध तत्काल निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना है :-

1- सम्बन्धित संस्थाओं के संचालकों के विरुद्ध आई०पी०सी० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी जाय।

2- संस्थाओं में आवासित संवासियों/संवासिनियों को दूसरी राजकीय संस्थाओं में या सुचारू रूप से संचालित एवं पंजीकृत संस्थाओं में स्थानान्तरित कराया जाय।

3- सम्बन्धित संस्थाओं को वर्ष 2017-18 में यदि सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति सम्बन्धित संस्थाओं के संचालकों से की जाय।

4- सम्बन्धित संस्थाओं को जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर काली सूची में डाला जाता है और इनको भविष्य में किसी भी विभाग से किसी भी योजना में कार्य न दिया जाय।

(9) स्वैच्छिक संस्था साथी द्वारा संचालित (खुला आश्रय गृह)

उक्त संस्था द्वारा मुगलसराय, चन्दौली में संचालित खुला आश्रय गृह की जांच आख्या जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा पत्र संख्या 591-92 दिनांक 08-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। निरीक्षण के समय संस्था बंद पायी गयी। कोआर्डिनेटर द्वारा बताया गया कि उक्त संस्था माह अगस्त, 2016 से बंद है। अतः उक्त गृह का पंजीकरण / मान्यता निरस्त किया जाय।

(10) स्वैच्छिक संस्था प्रयत्न द्वारा संचालित बाल गृह (बालिका)

उक्त संस्था द्वारा मुगलसराय, चन्दौली में संचालित बाल गृह (बालिका) की जांच आख्या जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा पत्र संख्या- 591-92 दिनांक 08-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। निरीक्षण के समय संस्था बंद पायी गयी। भवन स्वामी द्वारा बताया गया कि उक्त संस्था दो वर्ष से बंद है। अतः उक्त गृह का पंजीकरण/मान्यता निरस्त किया जाय।

(11) स्वैच्छिक संस्था दुखना देवी सेवा संस्थान, सीतमसराय, विडौरी, जौनपुर (बाल गृह, शिशु)

उक्त संस्था द्वारा संचालित बाल गृह (शिशु) की जांच आख्या जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा पत्र संख्या 837-39 दिनांक 06-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि निरीक्षण के दौरान संस्थाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि बाल गृह (शिशु) के संचालन मान्यता ली गयी। थी, लेकिन बजट आवंटन न होने के कारण संस्था संचालित नहीं की गयी। वर्तमान में कोई बच्चा आवासित नहीं है। अतः उक्त गृह का पंजीकरण/मान्यता निरस्त किया जाय।

(12) स्वैच्छिक संस्था दुखना देवी सेवा संस्थान, बिडौली जौनपुर (स्वाधार गृह)

उक्त संस्था द्वारा संचालित स्वाधार गृह की निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा पत्र संख्या 840-42 दिनांक 07-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जांच के समय उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज संख्याओं के सापेक्ष कम महिलायें उपस्थित पायी गयी। महिलाओं को जांच के समय तुरन्त बाहर से बुलाया गया। महिलाओं के लिये पर्याप्त दैनिक उपभोग का सामान नहीं पाया गया, संस्था वास्तव में संचालित नहीं है। बंद किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः स्वाधार गृह के बन्द होने की सूचना से सभी सम्बन्धित को अवगत करा जाय। यदि कहीं से मान्यता दी गयी है तो निरस्त कराया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) स्वैच्छिक संस्था चन्द्रा शिक्षा संस्थान, जौनपुर (स्वाधार गृह)

उक्त संस्था द्वारा संचालित स्वाधार गृह की जांच आख्या जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा पत्र संख्या- 840-42 दिनांक 07-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जांच के समय उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज संख्याओं के सापेक्ष कम महिलायें उपस्थित पायी गयी। महिलाओं को जांच के समय तुरन्त बाहर से बुलाया गया। महिलाओं के लिये पर्याप्त दैनिक उपभोग का सामान नहीं पाया गया, संस्था वास्तव में संचालित नहीं है। बंद किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः स्वाधार गृह के बन्द होने की सूचना से सभी सम्बन्धित को अवगत करा जाय। यदि कहीं से मान्यता दी गयी है तो निरस्त कराया जाय।

(14) स्वैच्छिक संस्था ओम जय महाशक्ति धाम समिति, जौनपुर (बाल गृह, शिशु)

उक्त संस्था द्वारा संचालित बाल गृह (शिशु) की जांच आख्या जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा पत्र संख्या 837-39 दिनांक 06-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि वर्तमान में बाल गृह (शिशु) का संचालन बंद है। अतः गृह का पंजीकरण / मान्यता निरस्त किया जाय।

(15) स्वैच्छिक संस्था वैष्णो सेवा समिति, वाराणसी (बाल गृह शिशु / विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण)

उक्त संस्था द्वारा जनपद जौनपुर में संचालित बाल गृह (शिशु)/ विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, जौनपुर की जांच आख्या जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा पत्र संख्या 837-39 दिनांक 06-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि इस संस्था द्वारा जनपद वाराणसी एवं मिर्जापुर में संचालित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के संचालन में पायी गयी अनियमितताओं के कारण गृह की पंजीकरण/मान्यता निरस्त कर दी गयी है तथा उनका रांचालन बंद है।

(16) स्वैच्छिक संस्था चिल्ड्रेन ऑफ मदर अर्थ (सीओएमई), फरसाड़, गोरखपुर

उक्त संस्था द्वारा संचालित "अपना घर" की जांच आख्या जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र संख्या-1053-54 दिनांक 07-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है बच्चे संस्था में नहीं है। बच्चों के रहने की व्यवस्था/सफाई खराब थी। अतः गृह का पंजीकरण / मान्यता निरस्त किया जाय।

(17) स्वैच्छिक संस्था श्रीमती प्रभावती देवी बालिका विद्यालय समिति चतुराभीटी, कोट खास, गोण्डा

उक्त संस्था द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में संचालित बाल गृह (बालिका), तथा बाल गृह (शिशु) की जांच आख्या जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा पत्र संख्या-518 दिनांक 07-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि वर्तमान में बाल गृह (बालिका) का संचालन बंद है। शिशु गृह संचालित नहीं है। अतः गृहों का पंजीकरण / मान्यता निरस्त किया जाय।

(18) स्वैच्छिक संस्था अवध ग्रामीण विकास संस्थान, धम्मौर, सुल्तानपुर (बाल गृह, बालिका एवं प्रियदर्शनी बाल गृह शिशु / विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण)

उक्त संस्था द्वारा जनपद सुल्तानपुर में संचालित प्रियदर्शनी बाल गृह (बालिका) एवं प्रियदर्शनी बाल गृह (शिशु)/ विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, सुल्तानपुर की जांच आख्या जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा पत्र संख्या-1921-24 दिनांक 07-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि उक्त गृह का संचालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध तत्काल निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना है।

1- गृह का पंजीकरण / मान्यता निरस्त किया जाय।

2- संस्थाओं में आवासित संवासियों/संवासिनियों को दूसरी राजकीय संस्थाओं में या सुचारू रूप से संचालित एवं पंजीकृत संस्थाओं में स्थानान्तरित कराया जाय।

3- सम्बन्धित संस्थाओं को जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर काली सूची में डाला जाता हे और इनको भविष्य में किसी भी विभाग से किसी भी योजना में कार्य न दिया जाय।

(19) स्वैच्छिक संस्था अवध ग्रामीण विकास संस्थान, सुल्तानपुर (स्वाधार गृह)

उक्त संस्था द्वारा संचालित स्वाधार गृह की जांच आख्या जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा पत्र संख्या- 921 दिनांक 07-08-2018 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि निरीक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में मात्र 05 संवासिनियाँ ही पायी गयी एंव संवासिनियों के रहने एंव सोने के लिये पर्याप्त स्थान की कमी पायी गयी। संवासिनियों द्वारा बताया गया कि अधीक्षिका के कमरे के बगल स्थित प्रबंधक का कमरा है जिसमें वे स्वयं रहते है। प्रबन्धक एवं अधीक्षिका के कमरे के बीच के बरामदे में कुछ संवासिनियाँ फर्श पर सोती है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है। रसोई घर काफी अव्यवस्थित पाया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि रसोई घर में मात्र 2-3 लोगों का ही भोजन बनता है। संस्था में पर्याप्त शौचालय, स्नानागार कपड़े बिस्तर एंव प्रसाधन सामग्रियों की कमी पायी गयी। गृह की अधीक्षिका द्वारा लिखित रूप से यह बयान दिया गया कि संस्था के प्रबंधक श्री शिव प्रसाद सिंह आवश्यकतानुसार आते है एंव रात्रि निवास करते है। स्वाधार गृह में श्री शिव प्रसाद सिंह का प्रथम तल (छत) पर एक कमरा व अटैच बाथरूम भी है। यहीं से आते जाते है, यह स्थिति नितान्त आपत्तिजनक एंव नियमानुकूल नहीं है।

जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध तत्काल निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना है :-

1- सम्बन्धित संस्था के संचालाकों के विरूद्ध आई0पी0सी0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी जाय।

2- संस्था में आवासित संवासियों/संवासिनियों को दूसरी राजकीय संस्थाओं में या सुचारू रूप से संचालित एवं पंजीकृत संस्थाओं में स्थानान्तरित कराया जाय।

3- सम्बन्धित संस्था को वर्ष 2017-18 में यदि सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति सम्बन्धित संस्था के संचालकों से की जाय।

4- सम्बन्धित संस्था को जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर काली सूची में डाला जाता है और इनको भविष्य में किसी भी विभाग से किसी भी योजना में कार्य न दिया जाय।

(20) स्वैच्छिक संस्था उमा महिला उत्थान समिति, सीतापुर द्वारा संचालित बाल गृह (बालिका) अहाता कप्तान हबीबपुर, सीतापुर

निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में संस्था का पंजीकरण/ मान्यता निरस्त है। बालिकाओं को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं। निदेशालय कृपया यह परीक्षण कर ले कि मान्यता कब निरस्त की गयी और अभी तक वहाँ से बालिकाओं को स्थानान्तरित क्यों नहीं कराया गया। जिलाधिकारी की रिपोर्ट में 09 बालिकायें उक्त बालिका गृह में आवासित पायी गयी हैं। संबंधित संस्था के विरूद्ध तत्काल यथोचित कार्यवाही भी करायें।

(21) स्वैच्छिक संस्था ज्ञानोदय बाल एवं महिला कल्याण समिति, पक्का पोखड़, मीरजापुर (बाल गृह बालिका)

निरीक्षण के दौरान 19 बालिकाओं का नाम दर्ज हैं परन्तु मौके पर 14 बालिकाए मिली, 03 बालिकाए न्यायालय के आदेश से उन्हें उनके माता पिता/संरक्षक की सुपुर्दगी में दिया गया हैं एवं 02 बालिकाए स्कूल गयी थी जिनको बाद में बुलवाया गया सभी बालिकाओं से बात-चीत की गयी खान-पान एवं रहने की समुचित व्यवस्था हैं किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जिन बालिकाओं को उनके अभिभावकों के सुपुर्द किया गया है, उनका सत्यापन कराया जाय।

(22) मधुग्राम विकास संस्थान लालगंज, मीरजापुर (स्वाधार गृह)

संस्था की वार्डन द्वारा बताया गया कि माह जुलाई, 2018 में 23 महिलाये थीं। माह अगस्त, 2018 में 17 महिलाये बची 06 महिलाओं को परिवार में पुनर्वासित किया गया। महिलाओं द्वारा कोई शिकायत नही की गयी। परिवार में पुनर्वासित की गयी महिलाओं का सत्यापन कराया जाय।

(23) महिला स्वाधार गृह देवरीकला मडिहान, मीरजापुर

निरीक्षण के समय संस्था में कुल 20 संवासिनियां एवं 04 बच्चे मौजूद पाये गये। उपस्थिति पंजिका में 24 संवासिनियों का नाम अंकित पाया गया। 04 संवासिनियों के बारे में अधीक्षिका द्वारा बताया गया कि अपने अभिभावकों के साथ घर गयी। बालिकाओं द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी। अभिभावकों के साथ भेजी गयी बालिकाओं का उनके पते से सत्यापित कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(24) आसरा विशप, सिविल लाईन, गोरखपुर

निरीक्षण के समय संस्था में कुल 22 बच्चियों का नाम अंकित पाया गया इनमें से 03 अनुपस्थित पायी गयी संस्था का भवन सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध एवं साफ सफाई संतोषजनक पायी गयी। अनुपस्थित बच्चियों का उनके पते से सत्यापन कराया जाय।

(25) संतकबीर बाल आश्रम, डिघा बाईपास, इन्डस्ट्रीयल एरिया खलीलाबाद, संतकबीर नगर

निरीक्षण के समय कर्मचारी द्वारा वजन पंजिका नहीं दिखायी गयी। निरीक्षण के दौरान संस्था में कोई संवासी नहीं पाया गया। कर्मचारी द्वारा बताया गया दो बच्चे हैं जिसे बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने हेतु श्री यादवेन्द्र नाथ के साथ भेजा गया है। उपस्थिति पंजिका मांगने पर कर्मचारी द्वारा अवगत कराया गया कि उपस्थिति पंजिका अलमारी में बंद है। संस्था के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करायी जाय। एवं दोनों बच्चों का सत्यापन कराया जाय।

(26) विकलांग कल्याण सेवा संस्थान (बाल गृह बालक) निकट फायर ब्रिगेड पुरानी नौगढ़, सिद्धार्थनगर

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर की निरीक्षण पत्र संख्या 125 दिनांक 06-08-18 के अनुसार निरीक्षण के समय संस्था में कुल 08 बच्चे पाये गये जबकि 19 बच्चे आवासित बताये गये। अनुपस्थित पाये गये बच्चों का सत्यापन कराया जाय।

कृपया उपरोक्त संस्थाओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त कार्यवाही तत्काल कराना सुनिश्चित करायें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें तथा शासकीय संस्थाओं के निरीक्षण में पायी गयी कमियों को दूर करने एवं सम्बन्धित दोषी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:-20/2018/1916(1)/60-1-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। 2. सदस्य सचिव राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ।
4. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
8. सदस्य सचिव उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उपर्युक्त संस्थाओं को गृह संचालन हेतु प्रदान की गयी मान्यता को तत्काल प्रभाव से निरस्त करना सुनिश्चित करें।
9. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।